


हाजू / सन्लाल - 86/22

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---------|--|---|
| 24.1.25 | <p>पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व शरी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बट नगरीन तकमिल दामिन दफन हो।</p> | |
| 24.1.28 | <p>पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व शरी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बट नगरीन तकमिल दामिन दफन हो।</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प मुन्सुन)</p> |  |